हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
(राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017
फोनः 0141-2710122 ई-मेलः registrar.hju@gmail.com hju.postal@gmail.com

क्रमांकः प.2(49)एचजेयू/प्रशा/मीटिंग/प्रबो/2020/ दिनांक :

प्रबंध बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 29.01.2020 का कार्यवाही विवरण

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 23 के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 29.01.2020 को दोपहर 2.00 बजे प्रशासनिक भवन, "मन्थन" सभागार (संशोधित स्थान), द्वितीय तल, डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में प्रबंध बोर्ड के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री ओम थानवी	कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
2	प्रो. आर. के. कोठारी	कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
3	श्री प्रशान्त बैरवा	राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमण्डल के नामनिर्देशित सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
4	श्री अभय कुमार	प्रमुख शासन सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
	श्री राजपाल सिंह यादव	संयुक्त सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग (प्रमुख शासन सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वारा नामनिर्देशित), एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
5	सुश्री पूजा पार्थ	संयुक्त शासन सचिव (अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामनिर्देशित), वित्त विभाग एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
6	डॉ. मोहम्मद नईम	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग (शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्देशित), एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
7	श्रीमती सुनीता ऐरन	कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू,

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

		जयपुर
8	प्रो. अपूर्वानन्द	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
9	श्री अमर सिंह राठौड़	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
10	डॉ. मनोज कुमार लोढा	कुलपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित संकाय अध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर
11	श्री अशोक कुमार शर्मा	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर

बैठक का आरम्भ प्रबंध बोर्ड के विभिन्न पदाधिकारियों के स्वागत तथा कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के परिचय, वैशिष्ट्य और तदनुसार विशिष्ट अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की चर्चा के साथ किया गया। तदुपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित प्रबंध बोर्ड के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में पारित निर्णयों का कार्यसूचीवार विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निर्णय/टिप्पणी
1–1	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 (क) के अनुसार विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन सुचारु रूप से संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय में विभिन्न अनुभागों और उनके अन्तर्गत समाविष्ट होने वाली शाखाओं की स्थापना तथा उनके कार्यों का निर्धारण किए जाने हेतु प्रस्ताव क्रमांक 1744 दिनांक 22.01.2020 का अनुमोदन।	विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय श्री आर.के.कोठारी द्वारा सुझाव दिया गया कि शैक्षणिक अनुभाग में प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग अनुभाग जोड़ा जाए। प्रो. अपूर्वानंद द्वारा सुझाव दिया गया कि equal opportunity cell तथा student advisory cell भी स्थापित किए जाए। राज्य विधान मंडल के सदस्य श्री प्रशान्त बैरवा द्वारा सुझाव दिया गया कि Alumni Association भी स्थापित किया जाए। साथ ही प्रशासनिक अनुभाग में आवक–जावक शाखा

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

HJU
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
(राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017
फोन: 0141-2710122 ई-मेल: registrar.hju@gmail.com hju.postal@gmail.com

		को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
1–2	(i) विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 से 48 में विश्वविद्यालय के लिए परिनियम, आर्डिनेंस तथा विनियमों की विषय–वस्तु तथा बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उक्त कार्य के सम्पादन हेतु अनुभवी अथवा विधि विशेषज्ञ की परामर्शी सेवाएं लिए जाने हेतु प्रस्ताव क्रमांक 1749 दिनांक 22.01.2020 का अनुमोदन। (ii) विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम, परिनियम एवं आर्डिनेंस बनने तक विश्वविद्यालय के नियमित कार्यों के सम्पादन हेतु राजस्थान सरकार के विभिन्न अधिनियमों/नियमों तथा प्रक्रियाओं को अंगीकृत करने तथा जहाँ राजस्थान सरकार के अधिनियम/नियम/प्रक्रियाएं निर्मित/स्पष्ट नहीं है वहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम तथा प्रक्रियाओं को अंगीकृत करने तथा आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय के पेशेवर वैशिष्ट्य को ध्यान में रखते हुए कुलपति महोदय को संशोधन के लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव क्रमांक 1750 दिनांक 22.01.2020 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 1–2 (i) का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव संख्या 1–2 (ii) पर विचार–विमर्श के उपरान्त वरीयता से राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर तथा जहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम तथा प्रक्रियाएं उपलब्ध नहीं हो वहां पर राजस्थान सरकार को रखे जाने के संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया।
1–3	विश्वविद्यालय हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्वीकृत विभिन्न पदों पर प्राप्त स्वीकृति अनुसार नियमित भर्ती करने के प्रस्ताव क्रमांक 1741 दिनांक 22.01.2020 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से राज्य सरकार से स्वीकृत तथा अनुमत पदों पर नियमित भर्ती के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा सचिव, कुलाधिपति महोदय के पत्रांक 3133 दिनांक 16.04.2019 व वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के पत्रांक प.4(1)वित्त/नियम/2018 दिनांक 03.04.2019 की सलाह व सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रेषित पत्रांक 367 दिनांक 27.08.2019 के आदिनांक तक अप्राप्त

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
(राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017
फोन: 0141-2710122 ई-मेल: registrar.hju@gmall.com hju.postal@gmail.com

		जवाब के मद्देनजर 3600/– तक के ग्रेड पे के पदों पर विश्वविद्यालय की विशिष्टता एवं तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर उक्त पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के स्थान पर विश्वविद्यालय स्तर पर ही करने का निर्णय लिया गया।
1–4	विश्वविद्यालय हेतु विभिन्न पदों पर की जाने वाली नियमित भर्ती के लिए पद–वार योग्यता व शर्तों का निर्धारण एवं विश्वविद्यालय के पेशेवर वैशिष्ट्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों के लिए भर्ती में योग्यता/अर्हता सम्बन्धी अतिरिक्त प्रावधान जोड़ते हुए भर्ती प्रक्रिया के प्रस्ताव क्रमांक 1747 दिनांक 22.01.2020 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से पद–वार योग्यता / अर्हताओं का अनुमोदन किया गया। शेष प्रावधान राज्य सरकार के नियमों के अनुसार रखने का निर्णय लिया गया। प्रो. अपूर्वानंद का सुझाव था कि पद भरने के लिए विज्ञापन देने से पूर्व 3 व्यक्तियों की समिति बनाई जाए, जो पदवार योग्यताओं आदि को अन्तिम रूप दें तथा उसके अनुरूप पद विज्ञापित किए जाएं। उनके सुझाव का सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का सुझाव था कि पद विज्ञापित किए जाने से पूर्व रोस्टर आदि के सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रस्ताव को कार्मिक विभाग भेजकर परीक्षण करवा लिया जाए, जिससे कि आरक्षण आदि के प्रावधानों की सावधानी–पूर्वक जांच हो सके।
1–5	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 43 के अनुसार विश्वविद्यालय का वर्ष 2019–20 का वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवेदन क्रमांक 1746 दिनांक 22.01.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
(राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017
फोन: 0141-2710122 ई-मेल: registrar.hju@gmail.com hju.postal@gmail.com

1–6	विश्वविद्यालय का प्रतीक चिह्न, जो कला के क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया है तथा इस विषय में निर्णय हेतु गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, के प्रस्ताव क्रमांक 1748 दिनांक 22.01.2020 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
1–7	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 29 (च) के अनुसरण में बोर्ड के अशासकीय सदस्यों में से एक सदस्य को वित्त समिति में दो वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किए जाने के प्रस्ताव क्रमांक 1739 दिनांक 22.01.2020 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से बोर्ड में अशासकीय सदस्यों में से श्री अमर सिंह राठौड़ को दो वर्ष की अवधि के लिए वित्त समिति का सदस्य मनोनीत करने का निर्णय लिया गया।
1–8	विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों यथा–सलाहकार परिषद्/प्रबंध बोर्ड/विद्यापरिषद्/संकाय/वित्त समिति/अध्ययन बोर्ड आदि की बैठक में भाग लिए जाने हेतु नामनिर्देशित सदस्यों को रु. 5000/– मानदेय (Sitting Allownace) तथा जयपुर के बाहर के सदस्यों को आवास, भोजन, वास्तविक यात्रा व टैक्सी व्यय तथा आनुषंगिक खर्च का पुनर्भरण और जयपुर में परिवहन की सुविधा दिए जाने अथवा समतुल्य भुगतान किए जाने के प्रस्ताव क्रमांक 1751 दिनांक 22.01.2020 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से नामनिर्देशित अशासकीय सदस्यों को प्रस्तावानुसार राशि व अन्य खर्चों का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
1–9	विश्वविद्यालय में नवीन नियुक्तियाँ होने तक अशैक्षणिक पदों यथा–परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, अनुभागाधिकारी, निजी सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आदि पदों पर राजकीय विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने के निर्णय सम्बन्धी प्रस्ताव क्रमांक 1745 दिनांक 22.01.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
1–10	विश्वविद्यालय का वर्तमान में स्वयं का भवन एवं गैस्ट हाऊस नहीं होने के कारण विभिन्न बोर्ड, परिषद् आदि में आमंत्रित बाह्य सदस्यों, विश्वविद्यालय में विशेष व्याख्यान के लिए आमंत्रित अतिथियों एवं परीक्षकों आदि को आवास सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्राइवेट	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रो. आर.के.कोठारी का सुझाव था कि आवश्यकता पडने पर राजस्थान विश्वविद्यालय के गैस्ट हाऊस का उपयोग किया जा

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017

फोनः 0141-2710122 ई-मेलः registrar.hju@gmail.com hju.postal@gmail.com

	होटल में रु. 5000/– प्रतिदिन तक के कमरे तथा भोजन, स्थानीय परिवहन व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव क्रमांक 1743 दिनांक 22.01.2020 अनुमोदन।	सकता है।
1–11	विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों तथा कतिपय कर्मचारियों को विशिष्ट दरों के अनुसार टेलिफोन बिलों का पुनर्भरण किए जाने सम्बन्धी आदेश क्रमांक 1011 दिनांक 07.12.2019 की पुष्टि।	विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
1–12	विश्वविद्यालय के नियमित कार्यों के सम्पादन हेतु विभिन्न अधिकारियों यथा–कुलपति महोदय, कुलसचिव, वित नियंत्रक तथा परीक्षा नियंत्रक के लिए (अन्य विश्वविद्यालयों की भांति) संविदा वाहन उपलब्ध करवाने तथा आवश्यकता होने पर दैनिक आधार पर वाहन लेने के निर्णय/आदेश क्रमांक 341 दिनांक 25.09.2019 की पुष्टि तथा भविष्य में वाहन संविदाओं के माध्यम से अनुबंधित करने के प्रस्ताव क्रमांक 1752 दिनांक 22.01.2020 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
1–13	विश्वविद्यालय में राजस्थान सरकार के विभिन्न अधिनियमों/नियमों तथा प्रक्रियाओं को अंगीकार करने सम्बन्धी प्रस्ताव के क्रम में विभागाध्यक्ष के स्थान पर कुलपति महोदय तथा राज्य सरकार के स्थान पर प्रबंध बोर्ड को अधिकृत करने सम्बन्धी प्रस्ताव क्रमांक 1753 दिनांक 22.01.2020 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि उक्त प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं हैं।
1–14	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(8) के अनुसरण में कुलपति–आवास के संधारण हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवाए जाने के निर्णय/आदेश क्रमांक 120 दिनांक 21.08.2019 एवं 378 दिनांक 28.09.2019 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
1–15	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 21.01.2020 के कार्यवाही विवरण का बिन्दुवार अनुमोदन।	विचार–विमर्श के उपरान्त विद्यापरिषद् के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 1–1 से 1–26 तक का सर्वसम्मति से अनुमोदन

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय

(राजस्थान विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)

राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017

फोन: 0141-2710122 ई-मेल: registrar.hju@gmail.com hju.postal@gmail.com

		किया गया।
1–16	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।	

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई। प्रबंध बोर्ड की बैठक के कार्यवाही विवरण पर सहमति के हस्ताक्षर निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री ओम थानवी	कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[हस्ताक्षर]
2	प्रो. आर. के. कोठारी	कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[हस्ताक्षर]
3	श्री प्रशान्त बैरवा	राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमण्डल के नामनिर्देशित सदस्य तथा सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[हस्ताक्षर]
4	सुश्री पूजा पार्थ	संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग (नामनिर्देशित अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग) एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[लिखित संपुष्टि / अभिमत प्राप्त]
5	श्री अभय कुमार	प्रमुख शासन सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[हस्ताक्षर]
	श्री राजपाल सिंह यादव	संयुक्त सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं नामनिर्देशित (प्रमुख शासन सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग)	[हस्ताक्षर]
6	डॉ. मोहम्मद नईम	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग एवं नामनिर्देशित (शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग) सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[हस्ताक्षर]
7	श्रीमती सुनीता ऐरन	कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[हस्ताक्षर]

[हस्ताक्षर]

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

[हस्ताक्षर]

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

8	प्रो. अपूर्वानन्द	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	
9	श्री अमर सिंह राठौड़	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	
10	डॉ. मनोज कुमार लोढा	कुलपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित संकाय अध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर	
11	श्री अशोक कुमार शर्मा	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)